देश

उवाच

"जम्मू-कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 35ए लागू था, तब तक यह गारंटी थी कि कोई बाहरी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है या सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। जम्मू-कश्मीर में नौकरियों के लिए लड़ेंगे, जो केवल राज्य के लोगों को प्राप्त होना चाहिए।"
–गुलाम नबी आजाद, डीपीएपी अध्यक्ष

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	32°	22°
मुंबई	34°	28°
कोलकाता	34°	27°
चेन्नई	32°	28°

इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या : अखिलेश यादव

■ खजुराहो सीट से मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने पर बोला हमला

भोपाल, 5 अप्रैल (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने प्रदेश की 29 में से एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपनारायण यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फार्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फार्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या-क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठी है समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है।

घटना की हो न्यायिक जांच

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। नामांकन निरस्त करने को लेकर कलेक्टर ने इसकी दो वजह बताई है। नामांकन फॉर्म पर प्रत्याशी के दो जगह हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें से एक जगह मीरा यादव ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दे दी गई थी। मीरा यादव के पति दीपनारायण यादव ने कहा है कि हम इस फैसले को हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के पास भी जाएंगे। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। उनकी राह अब आसान हो गई है। एक तरह से इंडिया गठबंधन ने उन्हें वॉकओवर ही दे दिया है। नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा का उम्मीदवार न होने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां मिलकर किसी एक उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन दे सकती है। लेकिन उसे कांग्रेस या सपा का चुनाव चिह्न नहीं मिल सकेगा।

खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि नामांकन फॉर्म को दो आधार पर निरस्त किया गया है। मीरा यादव ने अपने नामांकन फॉर्म के साथ सत्यापित मतदाता सूची संलग्न नहीं की थी। फॉर्म में दो जगह हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए हैं। मीरा यादव निमाड़ी विधायक रह चुकी हैं। उनके पति दीप नारायण सिंह यादव भी यूपी के झांसी के गरोठा विधानसभा सीट से दो बार के विधायक हैं। यादव परिवार का राजनीतिक रसूख न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड सहित कई इलाकों में बना हुआ है। यादव समाज का बड़ा चेहरा होने की वजह से दीपनारायण यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। सपा ने पहले मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया था। इसके दो दिन बाद ही मनोज यादव का टिकट काटकर मीरा को टिकट दिया गया था। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन यानी चार अप्रैल को ही मीरा ने नामांकन दाखिल किया था। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है।

भाजपा समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की भी है दोषी : अखिलेश यादव

खजुराहो में अब 14 उम्मीदवार ही शेष

मीरा यादव के साथ पांच अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र निरस्त हुआ है। इसके बाद अब खजुराहो सीट पर 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। अभ्यर्थी सोमवार को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापस ले सकेंगे। भाजपा से विष्णुदत्त शर्मा, बसपा से कमलेश कुमार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 12 निर्दलीय मोहम्मद इमरान, कपिल गुप्ता भारतीय, केशकली, गिरन सिंह, नंदकिशोर, पंकज मौर्य (कुशवाहा), पन्ना लाल त्रिपाठी एड., फिरोज खां, बिटइया अहिरवार, आर.बी. प्रजापति (राजा भइया) पूर्व आईएएस, लक्ष्मी प्रसाद और पेंटर सुनमान सिंह लोधी भी चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के नाम घोषित

■ खड़गे, राहुल, प्रियंका के नाम शामिल

नैनीताल, 5 अप्रैल (एजेंसियां)। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है। स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग को भेजी गयी स्टार प्रचारकों की सूची में जिन नामों का ऐलान किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कुमारी शैलजा, जितेन्दर सिंह, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पाल, अलका लांबा और अमरिंदर सिंह राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश के तीस कांग्रेस नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं। इनमें दिग्गज नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन महरा, प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत के नाम प्रमुख हैं। सूची में कांग्रेस नेता हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, काजी निजामुद्दीन, मयूख महर, तिलक राज बेहड़, ममता राकेश, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, हरीश धामी, मदन सिंह बिष्ट, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान, गोपाल सिंह राना शामिल हैं। इनके अलावा अन्य जो नाम हैं उनमें खुशाल सिंह अधिकारी, सुमित हृदयेश, रवि बहादुर, वीरेंद्र जति, गोविंद सिंह कुंजवाल, डा. जीत राम, मंत्री प्रसाद नैथानी, हरक सिंह रावत, नव प्रभात, दिनेश अग्रवाल, शूरवीर सिंह सजवाण, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी और ज्योति रौतेला के नाम शामिल हैं।

पुंछ में युवकों की मौत के मामले की जांच से न्याय की उम्मीद : महबूबा

■ पिछली जांचों में जहां सशस्त्र कर्मियों के दोषी होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई

श्रीनगर, 5 अप्रैल (एजेंसियां)। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल दिसंबर में सेना की कथित पूछताछ में पुंछ के तीन युवकों की हुई मौत के मामले की जांच से शोक संतप्त परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। महबूबा एक मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रही थीं जिसमें बताया गया था कि दिसंबर 2023 में तीन युवकों की मौत के मामले में सेना की आंतरिक जांच में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों सहित सात से आठ कर्मियों के 'आचरण' में 'गंभीर खामियां' पाई गई हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल 21 दिसंबर को पुंछ के सुरनकोट के बुफलियाज इलाके में एक घातक हमले में चार सैनिक मारे गए थे। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर तीन युवकों- सफीर अहमद, मोहम्मद शौकत अली और शब्बीर अहमद, को सेना की ओर से पूछताछ के लिए अन्य लोगों के साथ उठाया गया था लेकिन अगले दिन तीनों मृत पाए गए। बड़े पैमाने पर आक्रोश के बाद सेना ने मौतों की जांच के आदेश दिए और एक अभूतपूर्व निर्णय में ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर को भी हटा दिया। मुफ्ती ने कहा कि पिछली जांचों में जहां सशस्त्र कर्मियों के दोषी होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कैसे झूठी मुठभेड़ों की पूछताछ और जांच ने हमेशा ऐसे मामलों में दोषी सशस्त्र कर्मियों की दोषीता की पुष्टि की है। मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुर्भाग्य से पथरीबल, माछिल या शोपियां फर्जी मुठभेड़ हुई और किसी भी जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोग बचकर निकल गए। उन्होंने कहा कि कोई केवल यह आशा कर सकता है कि बफलियाज के तीन युवकों की दुखद मौत की हालिया जांच से शोक संतप्त परिवारों को न्याय मिलेगा। जांच का आदेश देना उस दिशा में एक कदम है।

सार संक्षेप

महाराष्ट्र में 352 उम्मीदवारों ने किए नामांकन दाखिल

मुंबई। महाराष्ट्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को आठ लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 352 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक गुरुवार को मराठवाड़ा और विदर्भ के निर्वाचन क्षेत्रों बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल-वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिले के अंतिम दिन तक बुलढाणा में 29 , अकोला में 28, अमरावती में 59, वर्धा में 27, यवतमाल-वाशिम में 38, हिंगोली में 55, नांदेड़ में 74 और परभणी से 42 उम्मीदवारों नामांकन पत्र भरे हैं। शुक्रवार को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

असम में भूकंप के तेज झटके, 5.7 मापी गई तीव्रता

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के राज्य असम में शुक्रवार शाम को करीब 6.15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई है। खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह की जानमाल के नुकासन की खबर नहीं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, जिसका भौगोलिक निर्देशांक 26.53 अक्षांश और 96.77 देशांतर था। भूकंपीय गतिविधि 62 किमी की गहराई पर थी।

झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो का निधन

रांची। झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को यहां विधानसभा परिसर लाया गया जहां विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मप्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने विशेष अभियान जारी : राजन

मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर किया विचार-विमश

भोपाल, 5 अप्रैल (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विगत विधानसभा निर्वाचन में प्रदेश के जिन 26 जिलों के 75 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम था, वहां मतदाता जागरूकता वाहन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आज 'मतदान में कम सहभागिता विषय पर सम्मेलन' में प्रमुख शहरों के नगर निगम आयुक्तों और कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अतिरिक्त प्रयास करने के लिए एक साथ विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर आयोग द्वारा मतदाताओं की उदासीनता पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन वर्चुअली रूप से इस सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि लघु फिल्म, स्लोगन, पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व और लोकतंत्र में उनके एक वोट की क्या कीमत है, के बारे में जागरुक किया जा रहा है। जिला लेवल पर पेंटिंग, स्लोगन, लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें सभी उम्र के मतदाता सहभागी बन सकते है।

प्रतियोगिताओं में पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। ट्रू कॉलर, यूपीआई पेमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएंसर, स्वच्छता वाहन के माध्यम से भी मतदाता जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

राजद प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं

■ मप्र के ग्वालियर की कोर्ट ने किया गिरफ्तारी वारंट जारी
■ हथियारों की खरीद-फरोख्त का मामला

पटना, 5 अप्रैल (देशबन्धु)। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में लालू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। साल 1995 और 1997 में फर्जी अवैध फार्म संख्या-16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में ग्वालियर की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल, 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। फर्जी कागजात के जरिए तीन फॉर्म के नाम पर हथियार और गोलियों की खरीद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 1998 के जुलाई महीने में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोप पत्र में लालू प्रसाद का नाम होने के कारण यह मामला ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंच गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की गिरफ्तारी वारंट को वोटिंग से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं तो लेकिन राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अदालत के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। दस्तावेजों के अनुसार आरोपी लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंद्रिका सिंह है। वहीं, राजद नेता लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंदन राय है। लालू प्रसाद के पिता का नाम सिर्फ फरारी पंचनामे में लिखा है।

पुलिस ने कोर्ट में जो चालान और फरार आरोपियों की सूची पेश की है, उनमें पिता का नाम नहीं लिखा था। शेष आरोपियों के पिता के नाम के साथ शहर तक का उल्लेख था। हालांकि, पूर्व सांसद और विधायक लालू प्रसाद यादव का जिक्र होने से यह केस एमपी-एमएलए कोर्ट में गया है। अब पुलिस का दावा है कि आरोपी लालू प्रसाद यादव कोई और नहीं बल्कि राजद नेता ही हैं। इसी आधार पर उन्हें आरोपी बनाया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस ने अपने अनुसंधान के बाद ही लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया है।

लालू समेत 23 को बनाया गया था नामजद आरोपी

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लालू प्रसाद यादव समेत 23 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। 23 आरोपियों में से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है जबकि दो की मौत हो चुकी है। बाकी 14 आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पहली बार चारा घोटाला मामले को लेकर चर्चा में आए थे। कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीम को 3 अक्टूबर 2013 में पहली बार सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू यादव को पांच साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हुई। सजा के बाद लालू यावद दो महीने के लिए रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद रहे. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आ गए।

सिक्किम विधानसभा चुनाव में 12 महिला उम्मीदवार मैदान में

■ लोस व विस सीट के लिए 19 को होना है मतदान

गंगटोक, 5 अप्रैल (एजेंसियां)। लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। सिक्किम विधानसभा और हिमालयी राज्य में लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए मैदान में उतरे 146 उम्मीदवारों में से केवल 12 महिलाएं हैं।

सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। सिक्किम विधान सभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। इन अनुसूचित जनजातियों में भूटिया, लेप्चा (शेरपा), लिम्बु, तमांग और अन्य सिक्किमी नेपाली समुदाय जैसी जातीय जनजातियां शामिल हैं। सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल दो जून को समाप्त हो रहा है। वहीं, यहां एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 15 महिला उम्मीदवार थीं। इस बार सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चार महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनावों में पार्टी ने तीन महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।

2.31 लाख महिला मतदाता

राज्य में कुल 4.66 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 2.31 लाख महिलाएं हैं। निवर्तमान सिक्किम विधानसभा (एसएलए) में तीन महिला विधायक थीं- मेली से फरवंती तमांग, रंगांग यांगगांग से राजकुमारी थापा और जूम-सलघारी (एससी) से सुनीता गजमेर।

फेक न्यूज व हेट स्पीच के मामलों में होगी कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान में किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए पुलिस के स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा टेक डाऊन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के महानिरीक्षक शरत कविराज ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के नेटवर्क संग समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों की निगरानी की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
चौड़ीकरण कार्य हेतु निविदा सूचना
क्र.सं. (1) ई-निविदा सं. डीआरएम-इंजी. बीएसपी-टी-126-23-24, दिनांक 28-03-2024
कार्य : बिलासपुर मंडल के सहायक मंडल अभियंता/पेंड्रा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भनवारटंक खोडरी अप लाईन के बीच किमी. 800/21-41 और किमी 803/11-29 पर बोल्डर गिरने वाले स्थान पर कटिंग कर चौड़ीकरण। निविदा मूल्य: 6,06,47,220.56/-, अमानत राशि: ₹ 4,53,200.00/-, कार्य पूर्णता की अवधि: 12 माह। निविदा जमा करने की आरंभ तिथि: 15.04.2024 के 11.00 बजे से। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 29.04.2024 के 11.00 बजे तक। उपरोक्त ई-निविदा सूचना की पूरी जानकारी https://www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदाओं हेतु ई-टेंडर के अलावा अन्य टेंडर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंडल रेलवे प्रबंधक (अभि.)
सीपीआरओ/10/497 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail

फॉर्म नंबर यूआरसी - 2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 (बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसार)

(1) इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, इसके पंद्रह दिनों के बाद लेकिन तीस दिनों की समाप्ति से पहले केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट 57 नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड - 122050 के रजिस्ट्रर के पास एक आवेदन जाना प्रस्तावित है कि **मैसर्स न्यूटेक पाइप्स वर्ल्ड** एक साझेदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत शेयरों द्वारा सिमित कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकती है।

(2) कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :
कृषि, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और अन्य उद्योगों, जंग और अन्य उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सभी आकार और किस्मों के प्लास्टिक ट्यूब और पाइप जंग से ट्यूब, वाल्व, पाइप और पाइप फिटिंग, फ्लैंज, लेमिनेटेड ट्यूबिंग, रॉड रेत पाइप, पीवीसी में निकास प्रणाली, फाइबर - रीन मजबूर प्लास्टिक, पॉलीप्रोपाइलीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन और अन्य प्लास्टिक, पीवीसी पानी के पाइप, ट्यूब, विद्युत नाली पाइप और फिल्टर, नली पाइप, कृषि नली पाइप, ठोस और वेल्डिंग छड़ें, पंप, और प्लंबिंग सामग्री, जल वितरण प्रणाली, स्वच्छता फिटिंग और प्लास्टिक से बनी अन्य निर्माण सामग्री । के निर्माण, खरीद, बिक्री, अन्यथा व्यवहार का व्यवसाय चलाना।

(3) प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण ऐल 6, डी - 101, स्वर्णभूमि, विधान सभा रोड, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492001 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) सूचना दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट 57 नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति भेजें।

दिनांक: 4 अप्रैल, 2024
गुरूवार का दिन

आवेदक का नाम
1. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल
2. श्री अनुप खंडेलवाल
3. श्री आदित्य अग्रवाल
4. श्रीमती मोहनी देवी अग्रवाल

ICICI Home Finance
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, भारत
शाखा कार्यालय : क्रीसेंट प्लाजा, यूनिट-एच4, द्वितीय तल, निकट स्वरूप टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदार (रों)/गारंटर (रों)/कानूनी वारिसों का नाम ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभार सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	तेज बहादुर (कर्जदार), छोटू खटीक (सह-कर्जदार) एनएचडीआरपी 00001247576	सम्पत्ति स्थित खसरा नंबर 1229/2, प्लॉट नंबर 05, पीएच नंबर 14/19, वार्ड नंबर 16, ... दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-491001	18,97,427/- 28-03-2024	रु. 4,54,050/- रु. 45,410/-	06-05-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	15-05-2024 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

स्थान : भिलाई
तिथि : 06-04-2024
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सतपाल चैम्बर्स, ग्रांड कॉम्प्लेक्स, राजभवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

सार्वजनिक सूचना – प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी
[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदार (रों)/जमानतदार (रों) का नाम/ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभार सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु.में)	सुरक्षित मूल्य (रु.में) धरोहर राशि जमा (रु.में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1	श्री सुनील कुमार (कर्जदार), ... LBRPR00003894354	मकान नंबर ए-37, ...	21,83,774/- (मार्च 27, 2024 तक)	14,65,000/- 1,46,500/-	मई 13, 2024 11:00 बजे से दोप. 01:00 बजे तक	मई 21, 2024 को 11:00 बजे तक

तिथि : अप्रैल 06, 2024
स्थान : छत्तीसगढ़ (भिलाई)
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड